



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16082021-229042
CG-DL-E-16082021-229042

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3070]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 16, 2021/श्रावण 25, 1943

No. 3070]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 16, 2021/SRAVANA 25, 1943

विदेश मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2021

का.आ. 3318(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 (1962 का 34) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के अध्याय 3 से भिन्न उपबंध, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से न्यूज़ीलैंड पर लागू करने का निदेश करती है।

[फा. सं. टी-413/37/1998]

देवेश उत्तम, संयुक्त सचिव (सीपीवी)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 16th August, 2021

S.O. 3318(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Extradition Act, 1962 (34 of 1962), the Central Government hereby directs that the provisions of the Extradition Act, 1962, other than Chapter III, shall apply to New Zealand with effect from the date of publication of this notification.

[F. No. T-413/37/1998]

DEVESH UTTAM, Jt. Secy. (CPV)

4563 GI/2021